

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी - डॉ० सूरज सिंह नेगी

मु० नंबर
226/2021

तारीख रजू
24-8-21
उनवान

किस्म मुकदमा
अपील

- 1- गोपीलाल पुत्र पाच्या जाति बैरवा निवासी बालेर तहसील खंडार जिला सवाईमाधोपुर
- 2- सोनी पत्नी गोपीलाल जाति बैरवा निवासी बालेर तहसील खंडार जिला सवाई माधोपुर

उपरिस्थित अभिभाषकगण

अनाम
सरकार

- 1-श्री जगदीशप्रसाद शर्मा ,एड०अपीलान्तगण की ओर से
- 2-पैरोकार सरकार -रेस्पो०की ओर से

निर्णय

दिनांक 29-11-2021

प्रस्तुत अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खंडार द्वारा विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 1934 आदेश दिनांक 15-12-10 प्रशासन गांवो के संग अभियान राजस्व केम्प ग्राम पंचायत बालेर तहसील खण्डार वर्ष 2010 में विवादग्रस्त नामान्तकरण खारिज किये जाने से पूर्व अपीलान्तगण को कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया तथा समस्त कार्यवाही एकपक्षीय रूप से की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है । पटवारी हल्का ने तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 15-12-10 की पालना में नामान्तकरण भरा गया था लेकिन तहसीलदार खण्डार द्वारा किस दिनांक को नामान्तकरण खारिज किया गया का अंकन नहीं किया है । यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15-12-10 प्राकृतिक न्याय के मूल भूत सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलान्तगण भूमिहीन एवं अनुसूचित जाति ,बैरवा जाति के व्यक्ति होने के कारण आवंटित भूमि पर आज भी अपीलान्तगणो का भौतिक कब्जा चला आ रहा है । जिसकी पुष्टि हेतु खसरा गिरदावरी चौसाला वाके ग्राम बालेर सम्वत् 2061 की छाया प्रति संलग्न की है । एवं विवादित भूमि आज भी गैरखातेदारी में दर्ज है । यह है कि ग्राम [QR Code] में बाढ आ जाने के कारण कब्जे की भूमि में खडी फसल बर्बाद हो जाने के कारण अपीलान्तगण दिनांक 28-7-21 को पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने के लिये गया तो पटवारी


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

हल्का ने सर्वप्रथम नामान्तकरण की नकल उपलब्ध करवाई की प्रशासन गांवों के संग अभियान में नामान्तकरण खारिज हो गया है । इससे पूर्व अपीलान्तगणों को विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 1934 के निरस्त होने की कतई जानकारी नहीं थी , इस बाबत म्याद के बिन्दु पर लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । यह है कि विवादित भूमि आज तक गैरखातेदारी में होने के कारण अपीलान्तगणों को प्रधानमंत्री योजना के साथ साथ बैंक से कृषि भूमि के विकास हेतु ऋण लेने में भी असमर्थ है । अतः विवादग्रस्त नामान्तकरण की जानकारी हेतु ही बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 1934 दिनांक 15-12-10 ग्राम बालेर निरस्त फरमाया जावे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी किया गया । सरकार की ओर परोकार सरकार उपस्थित हुए । वकील अपीलान्त द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया । उभय पक्ष के वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख व दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया । उक्त दस्तावेज एवं विवादग्रस्त नामान्तकरण का अवलोकन करने से नामान्तकरण संख्या 1934 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य होने पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है , नामान्तकरण संख्या 1934 ग्राम बालेर खारिज किया जाता है । अगर आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की जाती है तो तहसीलदार 14(4)का प्रकरण बनाकर सक्षम न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे ।

निर्णय आज दिनांक 29-11-2021 को खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।


 (डॉ०सूरज सिंह नेगी)
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 सवाई माधोपुर